

13/07/22

वकुनाम काठिन उपस्थित।

पत्रावली का अंकीकरण किया गया।
उत्तर दिनांक 07.07.2014 से
वादी साक्ष्यों में विचारार्थी है। वादी
एवं वकील वादी को साक्ष्य द्यु
अवसर दिये जाने के उपरांत भी
उनके द्वारा दिखले 07 वर्ष के
साक्ष्य प्रेशा नहीं किये जा रहे
हैं। इससे स्पष्ट है कि वादी
एवं वकील वादी अपने वाद के
उक्ति गम्भीर नहीं है। उत्तर
अनावश्यक लम्बित चल रहा है।

अतः आदेश 9 सिपम 5 सीपीसी
के तहत वादी एवं वकील वादी अपने
वाद के उक्ति गम्भीर नहीं होने एवं
न्यायालय आदेश की पालना नहीं करने
से वादी का वाद इसी स्तर पर
खारिज किया जाता है। पत्रावली नैसर्ग
दुमार दोमर इन्जिनियरिंग से। आदेश
पुनः न्यायालय में लुताया गया।

सहायक कलेक्टर
(SDO) बाड़मेर